राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन में गेहूं, चावल के अनुपात संबंधी नीति

(i) राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और चावल की खरीद 45:55 के अनुपात में की जाती है। इस अनुपात पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राजसहायता के बोझ की गणना भी की गई है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल के आवंटन के वर्तमान/पारम्परिक अनुपात को सामान्य एनएफएसए (अर्थात् एएवाई तथा प्राथमिकता श्रेणी) में बनाए रखा जाएगा।

(iii) मौजूदा नीति के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों को एएवाई तथा प्राथमिकता श्रेणी अर्थात् सामान्य एनएफएसए आवंटन में 100 प्रतिशत चावल आवंटित किया जाएगा। टाइड ओवर श्रेणी के अंतर्गत आवंटन केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति तथा खाद्य राजसहायता के प्रभाव के आधार पर किया जाएगा।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गेहूं : चावल अनुपात को बदलने संबंधी अनुरोधों पर विचार करते समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखा जाएगा।

(v) राज्य, जो क्रमश: गेहूं और चावल के संबंध में अपनी वर्तमान वार्षिक हकदारी/मांग से अधिक गेहूं और चावल की वार्षिक खरीद करते हैं, उन्हें सामान्य एनएफएसए आवंटन अर्थात् एएवाई तथा प्राथमिकता श्रेणी में उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी पसन्द का खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा। टाइड ओवर श्रेणी के अंतर्गत आवंटन इस विभाग का विवेकाधिकार होगा तथा केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, खाद्य राजसहायता पर प्रभाव तथा उपर्युक्त मद (i) तथा (ii) के आधार के पर किया जाएगा।

(vi) राज्य, जो क्रमशः गेहूं और चावल के संबंध में अपनी वर्तमान वार्षिक हकदारी/मांग से कम गेहूं अथवा चावल की वार्षिक खरीद करते हैं उन्हें उनकी पसन्द का खाद्यान्न तभी आवंटित किया जाएगा जब उनकी विगत 3 वर्षों की औसत खरीद खरीफ विपणन मौसम 2010-11 से खरीफ विपणन मौसम 2015-16 तक औसत 6 वर्षों की खरीद से अधिक होगी। खाद्यान्नों में वृद्धि को विगत 6 वर्षों की औसत खरीद (खरीफ विपणन मौसम 2010-11 से खरीफ विपणन मौसम 2015-16 तक) की तुलना में विगत 3 वर्षों की औसत खरीद में वृद्धि के 75 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकता है।

(vii) खरीद न करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में उनके पारम्परिक मिश्रण को बनाए रखा जाएगा अर्थात् गेहूं, चावल अनुपात को पूर्ववर्ती सामान्य टीपीडीएस + अतिरिक्त एपीएल में मौजूदा गेहूं चावल अनुपात के आधार पर बनाए रखा जा सकता है। खरीद न करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पसन्द के खाद्यान्नों में वृद्धि संबंधी कोई अनुरोध उपर्युक्त मद (vi) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

(viii) तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से खाद्यान्न आवंटन में संशोधन संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो यह किलोग्राम का असुविधाजनक भाग न हो तथा इसे किलोग्राम में नजदीकी सम्पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया जा सके, ऐसे मामले में इस पर विचार किया जाएगा तथा इसे नजदीकी 500 ग्राम अर्थात् यदि गेहूं अथवा चावल को 1.86 किलोग्राम से परिवर्तित करने का अनुरोध है तब इसे परिवर्तित करके 2 किलोग्राम किया जाएगा जबकि 1.70 किलोग्राम से परिवर्तित करने के अनुरोध पर इसे परिवर्तित करके 1.5 किलोग्राम किया जाएगा।

(ix) उपर्युक्त नीति केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की समग्र उपलब्धता पर निर्भर है।